जयघोष के साथ निकला साईं पालकी चल समारोह

ग्वालियर, 29 जुलाई। ऊं साईं श्रद्धा सबुरी सेवा दल समिति द्वारा गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी साईं बाबा पालकी चल समारोह धूमधाम से निकाला गया।

समिति अध्यक्ष संजय कट्टल ने बताया कि बुधवार शाम 6 बजे गाडवे की गोठ स्थित साईं मंदिर से पालकी यात्रा का शुभारंभ हुआ। पूर्व महापौर श्रीमती समीक्षा गुप्ता ने साईं बाबा की आरती कर पालकी को रवाना किया। इस वर्ष बाबा स्टील और पीतल से निर्मित नई पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। पालकी यात्रा माधौगंज, गोरखी, महाराज बाड़ा, सराफा बाजार, डीडवाना ओली, राममंदिर, पाटनकर बाजार, ऊंटपुल, ओल्ड हाईकोर्ट, जयेंद्रगंज, नदी गेट, शिंदे की छावनी, नौगजा रोड होते हुए विकास नगर स्थित साईं मंदिर पहुंची, जहां आरती के साथ समापन हुआ।

मार्ग में जगह-जगह पालकी का भव्य स्वागत कर पुष्पवर्षा की गई। यात्रा में डीजे, बैंड, आकर्षक लाइट, महाराष्ट्र ढोल, साईं बग्गी, आकर्षक झांकियां, श्याम सुंदर घोड़ा, बाबा की धूनी और लोबान की रेढ़ी आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान सैकड़ों साईं भक्त 'ले के चलो पालकी शिरडी के नाथ की, कंधा लगाके बोलो जय साईं राम की' भजनों पर नाचते-गाते चल रहे थे। समारोह में राजेश जयसिंघानी, अमित कुकरेजा, नरेश बतरा, हेमंत बाथम, रवि तालेगांवकर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

एक पेड़ माँ के नाम अभियान : 200 पौधों का किया रोपण

ग्वालियर, 29 जुलाई। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत भगवतसहाय महाविद्यालय परिसर में एक वृहद पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार उद्यान निरीक्षक राजकुमार राजावत एवं महाविद्यालय के स्टाफ सदस्यों एवं बड़ी संख्या में उपस्थित छात्र-छात्राओं के सहयोग से परिसर में 200 पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान पौधरोपण के साथ-साथ पौधों की निरंतर देखभाल और सुरक्षा जिम्मेदारी छात्रों द्वारा ली गई।

कार्यशाला आज : निगम द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत क्षमतावर्धन कार्यशाला 2026 का आयोजन बाल भवन में दिनांक 30 जुलाई को दोपहर 12 बजे से किया जा रहा है।

नामांकन विज्ञप्ति/संशोधन सूचना

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 22/07/2026 को प्रकाशित नामांकन सूचना में त्रुटिवश विज्ञप्ति में नोनकराम/दौजीराम व पता रानीपुरा गलत छाप गया है। जिसका वास्तविक नाम नोनकरन / दौजीराम व पता- राजामंडी पढ़ा जावे। जिसका कार्य क्रमांक 61/2010/584 93 /58694 है शेष यथावत रहेगा।

माधव शिक्षा महाविद्यालय में गुरु पूर्णिमा उत्सव हर्षोल्लास के साथ आयोजित

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 29 जुलाई। माधव शिक्षा महाविद्यालय में सांस्कृतिक समिति द्वारा गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा, भक्ति एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के पूजन एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके पश्चात डॉ. नीतू द्विवेदी द्वारा सरस्वती वंदना की भावपूर्ण प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का परिचय डी.एल.एड .विभाग अध्यक्ष डॉ विकास गोरे ने दिया

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हार्टफुलनेस से संतोष सविता ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में भारतीय गुरु-शिष्य परंपरा, ध्यान (मेडिटेशन) तथा हार्टफुलनेस के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं प्राध्यापकों को मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया। साथ ही उन्होंने बताया कि महाविद्यालय परिसर में मेडिटेशन का तीन दिवसीय अभ्यास शिविर आयोजित किया जाएगा। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विवेक भदौरिया ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का शाब्दिक स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन किया।

कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ. वासन्ती संत ने किया, जबकि अंत में श्रीमती नीलम शर्मा ने सभी अतिथियों, प्राध्यापकों, कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण, कर्मचारी एवं छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे। गुरु पूर्णिमा का यह आयोजन आध्यात्मिक चेतना, भारतीय संस्कृति एवं गुरु-शिष्य परंपरा के प्रति श्रद्धा का प्रेरणादायी संदेश देने वाला रहा।

अतिक्रमण पर चला नगर निगम का बुलडोजर, आम रास्ते में बनी अवैध दीवार ढहाई

ग्वालियर, 29 जुलाई। नगर निगम ग्वालियर द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार कार्रवाई की जा रही है। भवन अधिकारी यशवंत मैकले ने बताया कि नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार क्षेत्रीय कार्यालय 10, वार्ड 21 के अंतर्गत गोले के मंदिर चौराहा के पास, गोले का मंदिर के बगल से आम रास्ते में बनी हुई दीवार को जेसीबी की मदद से हटाया गया। कार्यवाही के दौरान मदाखलत अमला मौजूद रहा।

मच्छरजनित बीमारियां रोकने बस्तियों में कराई फॉगिंग

ग्वालियर, 29 जुलाई। संक्रामक बीमारियों एवं मच्छरों की रोकथाम के लिए नगर निगम द्वारा सभी वार्डों में फॉगिंग एवं कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ वैभव श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देश पर शहर के सभी वार्ड की गलियों एवं मोहल्लों में निरंतर साफ-सफाई एवं फॉगिंग का कार्य कराया जा रहा है। जिसके तहत आज आदिवासी मोहल्ला, विजय नगर, पारस विहार कॉलोनी, इंद्रमणी नगर, भाऊ साहब पोतनीस एन्क्लेव, पान पत्ते की गोठ, जाटव मोहल्ला, माधवगंज, चकरायपुर, कुशवाह मोहल्ला, विनय नगर सेक्टर-3, गदाईपुरा, गोविंदपुरी, दीनदयाल नगर, शताब्दीपुरम आदि अनेक स्थानों पर फॉगिंग एवं दवा का छिडकाव किया।

NAME CHANGE

I, PRIYANKA GURBAKSHANI W/O MR. PAWAN SIDHWANI Here by Declare That I have Changed My name as GEETA SIDHWANI so, from now and In future I will be known by my new name- GEET SIDHWANI.

ADD- SV/20, ANGRE COLONY, GATE NO-3, LALA KA BAZAR, LASHKAR GWALIOR, (M.P.) 474001

AURANGABAD SMART CITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (ASCDCL)

REQUEST FOR PROPOSAL

ASCDCL invites firms possessing relevant capabilities to respond to this RFP for following

Sr.No.	Title and Tender ID No.	Bid Due Date	Bid Opening Date
01	Establishment of Chhatrapati Sambhajinagar Zoo - Supply of Trees for Plantation (SH: Horticulture Works) 2026_ASCDC_1322828_1	05 August 2026	07 August 2026 16:00 hrs.

The tender document can be downloaded from https://www.mahatenders.gov.in

Sd/-
Chief Executive Officer
Aurangabad Smart City Development Corporation Limited

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमान **अनूप भट्टाचार्य** पुत्र श्री **बिष्णु सहाय भट्टाचार्य** के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की एक अंचल संपत्ति जिसका मकान क्र. 467, पुराना संपत्ति क्र. 64880, नया संपत्ति क्र. 1000309824, नगर निगम वार्ड क्र. 19, प्रीतम विहार कॉलोनी मुरार, ग्राम गोशपुरा तहसील एवं जिला ग्वालियर के सर्वे क्र.1948, 1949, 1949/1, 1956 की होकर जिसकी चतुर्सीमा :- पूर्व में- आम रास्ता, पश्चिम में- प्लाट योगें साहब, उत्तर में- आम रास्ता, दक्षिण में- प्लॉट नंबर 10 व कुल क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति पूर्व में श्रीमती काशीबाई पत्नी स्व: श्री प्रीतम सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की थी। तत्पश्चात श्रीमती काशीबाई पत्नी स्व. श्री प्रीतम सिंह द्वारा **श्रीमती माया मुखर्जी (भट्टाचार्य)** पत्नी **श्री बिष्णु सहाय भट्टाचार्य** को रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख सरल क्र. 1970 एवं ग्रंथ क्र. 13386 व दिनांक 20.09.2000 से विक्रय की गई जिसमें श्रीमती माया मुखर्जी (भट्टाचार्य) के फौत उपरांत उनके एकल क़ानूनी वारिस अर्थात श्रीमान अनूप भट्टाचार्य पुत्र श्री बिष्णु सहाय भट्टाचार्य का नाम नगर निगम के दस्तावेजों में दर्ज किया गया। अत: उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष उक्त संपत्ति पर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होकर बंधक किए जाना प्रस्तावित है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रपत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होंगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो। इति दिनांक :- 29.07.2026

प्रेषक- विशाल अग्रवाल (अधिवक्ता)
कार्यालय- 'मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसल्टेंट' ग्राउंड फ्लोर यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नं. 2 के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर म.प्र.
मो. 9826820987

CHANGE OF NAME

I, M Manemma mother of M Laxma Reddy Presently residing at Village-Charlapally, Post-Kondapur, Tehsil Dhanwada District- Narayanapet, State-Telangana, Pin-509371, have changed my name from M MANEMMA to AYYAPPAREDDY MANEMMA, and it may entered accordingly in my son Army Service record. Vide Affidavit No. CC 131865 & Date 20.07.2026 before District Court Gwalior (M.P.)

CHANGE OF NAME

I, Narendra Kumar currently residing at Vill & Post- Kanwara, Tehsil-Jasrana, Dist- Firozabad, State- Uttar Pradesh, Pin-205145, have changed my son name from MASTER UTKARSH SHARMA to UTKARSH SHARMA vide affidavit CC019054 & date 27.07.2026 before District Court Gwalior (M.P.)

सम्बंध विच्छेद आम सूचना

सर्वसाधारण आम व खास को सूचित किया जा रहा हैं कि मेरी पक्षकार श्रीमती शकुंतला झा पत्नी श्री नारायण प्रसाद झा निवासी- मकान नं. 22, न्यू जनकपुरी, सिंधी कॉलोनी, कम्पू, लश्कर गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.) की निवासी है। मेरी पक्षकार का पुत्र जितेन्द्र कुमार झा एवं उसकी पत्नी श्रीमती ममता रानी झा विवाह के वाद से ही आये दिन मेरी पक्षकारा के साथ गाली गलौच व लडाई झगडा कर पैसों की माँग करते है, एवं मेरी पक्षकारा के समझाने पर वह उनकी बात नहीं मानते है और जान से मारने और स्वयं के मरने की धमकी देता है। मेरी पक्षकारा के पुत्र जितेन्द्र कुमार झा के द्वारा आये दिन लडाई झगडा कर गृह क्लेश करने से दुखी होकर मेरी पक्षकारा के द्वारा आज दिनांक से अपने पुत्र जितेन्द्र कुमार झा और उसकी पत्नी श्रीमती ममता रानी झा को अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से भी बेदखल कर दिया है और सभी प्रकार के पारिवारिक सम्बंध खत्म कर लिये है आज दिनांक से मेरी पक्षकार एवं उनके पुत्र जितेन्द कुमार झा के मध्य माता-पिता एवं पुत्र के संबंध नहीं रहेगे। यदि भविष्य मे जितेन्द्र कुमार झा के द्वारा मेरे पक्षकारगण की चल-अचल सम्पत्ति मे अपने हक बावत दावा या कानूनी कार्यवाही करता है तो वह इस सम्बंध विच्छेद आम सूचना के समक्ष असत्य व अमान्य समझी जावे। मेरे पक्षकार के पुत्र जितेन्द्र कुमार झा के द्वारा पूर्व के कई व्यक्तियों या बैंक, क्रेडिट कार्ड बैंक, वित्तय संस्थाओ से काफी ऋण ले रखा हैं यदि वह ऋण जमा नहीं करता है तो मेरे पक्षकारगण की कोई भी जबावदारी नही होगी। इसकारण सें कोई भी व्यक्ति या रिस्तेदार, बैंक, क्रेडिट कार्ड बैंक पैसो का लेन देन ना करे। और यदि कोई भी व्यक्ति या बैंक, क्रेडिट कार्ड बैंक आदि के द्वारा जितेन्द्र कुमार झा के साथ पैसो का लेन देन करता है तो वह अपने कृत्यो बावत स्वंय जिम्मेदार होगे उसमे मेरी पक्षकार एवं उसके अन्य किसी भी परिवारजन की कोई भी जिम्मेदारी नही होगी। उक्त आम सूचना से आम और खास सूचित होवें।

सूचनाकर्ता -
श्रीमती शकुंतला झा पत्नी श्री नारायण प्रसाद झा
निवासी- मकान नं. 22, न्यू जनकपुरी, सिंधी कॉलोनी, कम्पू, लश्कर गिर्द, ग्वालियर म.प्र. की निवासी है।
मो.नं. 7223956425
द्वारा अभिभाषक – देवेन्द्र सिंह यादव एडवोकेट, कार्या.- न्यू ग्रेसिम विहार, चार शहर का नाका हजीरा ग्वालियर म.प्र., मो 9300814849

अंतराष्ट्रीय मित्रता दिवस आज, युवाओं ने बताया क्यों जरुरी होते हैं दोस्त

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 29 जुलाई। आज दुनियाभर में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे यानि अंतराष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जा रहा है हालांकि भारत में मित्रता दिवस अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है, जो इस बार 2 अगस्त को है।

मित्रता दिवस हर व्यक्ति के लिए खास होता है, यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक ऐसा मौका है जब हम अपने दोस्तों को ये जाहिर करते हैं कि वो हमारे लिए कितने खास है और उनकी हमारे जीवन में क्या महत्वता है। यह दिन उन सभी दोस्तों को समर्पित होता है जो हमारे सुख, दु:ख, हँसी, खुशी और जीवन के हर मोड़ पर हमारा साथ देते है। जीवन के हर पड़ाव पर हम अलग-अलग दोस्तों से मिलते है, फिर चाहे वह दोस्त बचपन के हो, स्कूल के हो, कॉलेज के या फिर ऑफिस के हर दोस्त ख़ास होता है।

दोस्ती पैसा, जाति, रूप, रंग, उम्र या पेशा देखकर नहीं की जाती बल्कि ये तो दिल का रिश्ता होता है जो जीवन के सभी रिश्तों से अलग और अनोखा होता है, क्योंकि रिश्तों की भीड़ में यह एक मात्र ऐसा रिश्ता होता है जिसे हम खुद चुनते हैं।

दोस्ती एक अनमोल रिश्ता है जो हमारे जीवन में खुशियों के रंग भरता हैं। दोस्त हमे हंसाते है, मजाक उड़ाते है, मस्ती करते है लेकिन अगर हम दुखी होते है तो सबसे पहले हमे संभालते भी वही है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ की मेरे जीवन में मुझे ऐसे दोस्त मिले जो हर कदम पर मेरा साथ देते है।

रूचि जैन

मेरे सारे दोस्त मेरे लिए बहुत जरुरी है, यह वो लोग है जो हर कदम पर मेरा साथ देते है फिर चाहे दु:ख हो, सुख हो, मस्ती हो या फिर लड़ाई। मेरे हर दोस्त का मेरा जीवन में अपना एक अलग महत्व है।

शिवा वर्मा

कई बार जीवन में मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लेकिन में वो बातें अपने माता-पिता से नहीं कह सकी लेकिन जिस इंसान से में अपने दिल की सारी बातें बिना किसी झिझक या डर के कह सकती हूँ वो मेरी दोस्त है क्योंकि मुझे पता है वो मुझे समझेगी भी और संभालेगी भी।

राशी मुखरैया

हम छोटे होते थे तब हम एक दूसरे को कार्ड देकर या फ्रेंडशिप बैंड बांधकर यह दिन मनाते थे लेकिन जबसे बड़े हुए है तबसे दोस्त और दोस्ती के सही मायने समझ आए। अब समझ आया अगर आपके दोस्त जीवन में न हो तो जीवन अधूरा सा लगता है।

अनुराग जैन

फसल बीमा कराने के लिए अब केवल 2 दिन शेष

ग्वालियर 29 जुलाई। वर्तमान खरीफ मौसम में अनियमित एवं कम वर्षा की संभावना को देखते हुए जिले के कृषकगणों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा कराने की अपील की गई है। फसल बीमा कराने के लिए अब केवल 2 दिन शेष बचे हैं। किसान भाई 31 जुलाई तक फसलों का बीमा करा सकते हैं।

सिद्धक्षेत्र महात्यागी बाबा आश्रम में धूमधाम से मनाया गुरु पूर्णिमा पर्व

ग्वालियर, 29 जुलाई। सिद्ध क्षेत्र महा त्यागी बाबा आश्रम, त्यागी नगर (मुरार) में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से ही आश्रम में दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।

महंत घनश्याम दास महाराज का पूजन व आरती : महोत्सव के दौरान आश्रम के महंत घनश्याम दास बाबा महा त्यागी का भक्तों द्वारा विशेष पूजन-अर्चन किया गया। श्रद्धालुओं ने महंत घनश्याम दास महाराज की भव्य आरती उतारी, उन्हें पुष्पमालाएं पहनाईं और चरण वंदना कर गुरु दक्षिणा समर्पित की। पूज्य महाराज श्री ने उपस्थित सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके सुख-समृद्धि और मंगल जीवन की कामना की।

आश्रम में रही विशेष सजावट और व्यवस्था : गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सिद्ध क्षेत्र त्यागी बाबा आश्रम को आकर्षक रूप से सजाया गया था। पूरे परिसर को रंग-बिरंगे झंडों, स्वागत बैनरों और सुवासित फूल-मालाओं से भव्य रूप दिया गया, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठा।

देश भर से आए श्रद्धालुओं ने ग्रहण की प्रसादी : इस पावन अवसर पर ग्वालियर एवं अंचल के साथ-साथ देशभर के कोने-कोने से बड़ी संख्या में भक्तजन त्यागी बाबा आश्रम पहुंचे। सुबह की आरती और पूजन के पश्चात आश्रम परिसर में विशाल भोजन भंडारे का आयोजन किया गया, जहां सभी श्रद्धालुओं ने सविनय बैठकर प्रसादी ग्रहण की।

सर्वमानव कल्याण महासंघ ने मानसिक आरोग्यशाला के खिलाफ दर्ज शिकायतें वापस लीं

ग्वालियर, 29 जुलाई। सर्व मानव कल्याण महासंघ (ग्वालियर) ने मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर के संचालक के खिलाफ की गई अपनी तमाम शिकायतों को औपचारिक रूप से निरस्त/नस्तीबद्ध करने का अनुरोध किया है। महासंघ द्वारा देश एवं प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों, जिनमें देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, आर्थिक अपराध शाखा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, म.प्र. के मुख्यमंत्री, संभागायुक्त एवं कलेक्टर ग्वालियर शामिल हैं को पत्र भेजकर इस निर्णय की जानकारी दी गई है।

मांगें पूरी होने पर महासंघ में हर्ष : महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप चौरसिया एवं राष्ट्रीय सचिव अमित श्रीवास की ओर से जारी पत्र (क्रमांक 202-1/2, 29 जुलाई 2026) के अनुसार आरोग्यशाला के संचालक संजय लहारिया द्वारा महासंघ द्वारा उठाई गई सभी जायज मांगों एवं समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें पूर्ण कर दिया गया है। मांगों के समाधान के बाद महासंघ और संबंधित कर्मचारियों में संतोष और हर्ष का माहौल है। इसके चलते संघ ने अपनी पूर्व में की गई सभी शिकायतों पर आगे कोई भी कार्रवाई न करने और प्रकरणों को नस्तीबद्ध (फाइल बंद) करने का निवेदन किया है।

इसके साथ ही सर्व मानव कल्याण महासंघ ने प्रशासनिक स्तर पर संवाद और समाधान के बाद मानसिक आरोग्यशाला प्रबंधन के प्रति संतोष व्यक्त किया है और पूर्व में प्रेषित सभी शिकायतों को वापस ले लिया है।

आम सूचना

आम व खास को सूचित किया जाता है कि आवासीय भूखण्ड कमांक 16 का भाग जिसका क्षेत्रफल 525 वर्गफीट है जो सर्वे कमांक 363/1/1/1, 363/1/2, 363/1/1/2, 361/1/2, 361/1/1/1, 361/2 राजस्व ग्राम अकबरपुर खालसा का भाग होकर मां कैलादेवी कॉलोनी, ग्राम अकबरपुर खालसा, ग्वालियर, तहसील एवं जिला ग्वालियर, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है :- पूर्व में प्लॉट क्रमांक 16 का शेष भाग, पश्चिम में प्लॉट क्रमांक 15, उत्तर में - प्लॉट क्रमांक 07, दक्षिण में आम रास्ता स्थित है, उक्त संपत्ति को आवेदिका श्रीमती लीला पत्नि श्री देवानन्द निवासी अशोक कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर, जिला ग्वालियर, म.प्र. ने सम्पत्ति स्वामी / अनुबंधकर्ता श्री नत्थी सिंह पुत्र श्री काशीराम निवासी 26, ग्राम कैथरी, जराह, पोस्ट जराह, जिला मुरैना, म.प्र. से क्रय करने का अनुबंध कर मेरे पक्षकार आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, फस्ट4 फ्लोर, अलकनंदा, टावर 02, आदित्य कॉलेज के सामने, सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.) के यहां आवास ऋण के विरूद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि, उक्त सर्व संख्याक कि भूमि अनुबंधकर्ता अन्य सह स्वामियों के साथ संयुक्त स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य में धारित भूमि का भाग है तथा उसके द्वारा अपने भाग की भूमि से विकय अनुबंध-पत्र का निष्पादन आवेदिका के पक्ष में किया गया है। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति / व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तद्नुसार सूचित हो।

दिनांक : 29/07/2026.
पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय 44-कैलाश विहार, सिटी सेंटर, जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समय : प्रात: 11.00 से सांय 05.00 तक
मोबाइल :- 9826833031

आम सूचना

आम व खास को सूचित किया जाता है कि, आवासीय भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 520 वर्गफीट है, जो सर्वे क्रमांक 173/स्द्धद्ध-1, पटवारी हल्का क्रमांक 55 का अंश होकर वार्ड क्रमांक 08, मौहल्ला सहराई, ग्राम सहराई, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है : पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में अन्य की भूमि, उत्तर में सितारा खांन का प्लाट एवं दक्षिण में अन्य का प्लॉट स्थित है, उक्त संपत्ति को आवेदिका श्रीमती मनीषा पत्नि श्री राजू गौड निवासी ग्राम अण्डोरा, तहसील इन्द्ररगढ़, जिला दतिया, म.प्र. ने सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती राजकुमारी जाटव पत्नि श्री अजमेर सिंह जाटव निवासी शासन राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक. 15, भितरवार, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर, म.प्र. से जरिये पंजीकृत विक्रय-पत्र ई-पंजीयन कमांक MP21IGR17392026A100239343 से दिनांक 27.02.2026 को क्रय कर मेरे पक्षकार आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, अलकनंदा, टावर 02, आदित्य कॉलेज के सामने, सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.) के यहां आवास ऋण के विरूद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि, आवेदिका के अनुसार उक्त सम्पत्ति का पूर्व मूल विक्रय पत्र जिसका ग्रंथ क्रमांक 6160, दस्तावेज क्रमांक 907 दिनांक 25/05/2012 आवेदिका से कहीं गुम हो गया है। जिसका आवेदिका अथवा उसके संज्ञान में किसी अन्य के द्वारा किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं किया गया है। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति / व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तद्नुसार सूचित हो।

दिनांक : 29/07/2026.
पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय 44-कैलाश विहार, सिटी सेंटर, जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समय : प्रात: 11.00 से सांय 05.00 तक
मोबाइल :- 9826833031

आम सूचना

आम व खास को सूचित किया जाता है कि, आवासीय भवन सम्पत्ति क्रमांक 42/906, (पुराना सम्पत्ति क्रमांक 35/26) जिसका कुल क्षेत्रफल 528 वर्गफीट है, जो वार्ड क्रमांक 42 मदने की गोठ, भाऊ का बाजार, लश्कर ग्वालियर, तहसील एवं जिला ग्वालियर, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है : पूर्व में गली और राजेश काले का भवन, पश्चिम में देवेन्द्र शर्मा का भवन, उत्तर में राजेश काले का भवन एवं दक्षिण में गली एवं शोभा सक्सेना का भवन स्थित है, उक्त संपत्ति को आवेदिका श्रीमती किरण पत्नि श्री पवन निवासी मदने की गोठ, लश्कर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर, म.प्र. ने सम्पत्ति स्वामी श्री राजेन्द्र कुमार काले पुत्र श्री गोविन्दराव काले निवासी पुरोहित भवन, मदने की गोठ, लश्कर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर, म.प्र. से क्रय करने का अनुबंध कर मेरे पक्षकार आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, अलकनंदा, टावर 02, आदित्य कॉलेज के सामने, सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.) के यहां आवास ऋण के विरूद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति / व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तद्नुसार सूचित हो।

दिनांक : 29/07/2026.
पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय 44-कैलाश विहार, सिटी सेंटर, जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समय : प्रात: 11.00 से सांय 05.00 तक
मोबाइल :- 9826833031

आम सूचना

श्री सुनील गुर्जर पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह गुर्जर के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अंचल सम्पति भूखण्ड, स्थित शिकारपुर, शहर नगर मुरैना, ग्राम शिकारपुर, तहसील एवं जिला मुरैना (म.प्र.) है जो नगर पालिका निगम मुरैना वार्ड क्र.30 (नायडू वार्ड) में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.560/1 ग्राम शिकारपुर है एवं जिसका क्षेत्रफल 1320 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है-पूर्व में